न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 03/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जेठाराम पुत्र हरमानराम जाट 2. हेमाराम पुत्र कुम्भाराम जाट 3. नैनाराम पुत्र गोकलराम जाट 4. भूराराम पुत्र मानाराम जाट 5. कालूराम पुत्र रणजीतराम सांसी 6. पाबूराम पुत्र चैलाराम सांसी 7. आईदानराम पुत्र मेहराम जाट 8. हड़मानराम पुत्र मांगीलाल सुथार 9. किशनाराम पुत्र दीपाराम मेघवाल 10. कानाराम पुत्र रामचन्द्र नाई 11. तेजाराम पुत्र चैलाराम सांसी सभी निवासी गांव गुजरावास खुर्द तहसील व जिला जोधपुर।		1. मंगलाराम पुत्र छोगाराम सरगरा तहसील व जिला जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक12.12.78 द्वारा सहायक जिलाधीश एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान, जोधपुर तहसील जिसके द्वारा उन्होनें ग्राम गुजरावास खुर्द की भूमि खसरा नं 192/2 में से 13 बीघा भूमि आवंटन कर दी

– – –

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत
2. अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार

:–: आ दे श :–: दिनांक : 12.03.2018

यह राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रार्थी अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 12.12.78 द्वारा सहायक जिलाधीश एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान जोधपुर जिसके द्वारा उन्होनें ग्राम गुजरावास खुर्द की भूमि खसरा नं 192/2 में से 13.13 बीघा भूमि आवंटन कर दी के पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुजरावास खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 223.12 बीघा आई हुई है। जो सरकारी पड़त भूमि है तथा जो शुरू से ही ग्रामवासियों के पशुओं के चरने के लिए गोचर के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है और जोधपुर जिला मरूस्थलिय जिला है जिसमें

राज्य सरकार द्वारा एक हेक्टर से अधिक भूमि के आवंटन पर रोक लगा रखी थी। सहायक जिलाधीश एंव शिविर प्रभारी राजस्व अभियान, जोधपुर तहसील ने दिनांक 12.12.78 को केम्प सुरपुरा में ग्राम गुजरावास खुर्द की भूमि खसरा नं 192 में से 13.13 बीघा भूमि अप्रार्थी मंगलाराम व लच्छीराम एवं दो अन्य जगदीश पुत्र भभूतराम सरगरा निवासी गुजरावास को आवंटित की दी। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग में गोचर के काम आ रही थी इस कारण जगदीश एवं मंगलाराम ने तहसील में लिख कर दे दिया कि वो भूमि यह भूमि नहीं रखना चाहते इस कारण उनका आवंटन निरस्त किया जावे व भूमि वापस सरकारी दर्ज की जावे। इसके व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां दिनांक 24.07.2008 को दर्ज किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक–1694 दिनांक 26/28.09.2012 की अनुपालना में इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 12.12.2017 को सुनी जाकर प्रकरण वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29.12.2017 को नियत की गई।

प्राथी के विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुजरावास खुर्द में स्थित खसरा नम्बर 192 रकबा 223.12 बीघा भूमि में से सरकारी पड़त भूमि है जो ग्रामवासियों के पशुओं के लिए चरने के लिए गोचर के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। जोधपुर जिला मरूस्थलीय जिला है जिसमें 1976 से राज्य सरकार द्वार एक हेक्टर से अधिक भूमि आवंटन पर रोक लगा रखी है लेकिन सहायक जिलाधीश एवं शिविर प्रभारी राजस्व अभियान जोधपुर ने दिनांक 12.12.78 को केम्प सुरपुरा में ग्राम गुजरावास खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 192 में से रकबा 13.13 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या एक मंगलाराम व अप्रार्थी संख्या दो लच्छीराम एंव दो अन्य जगदीश पुत्र भभूतराम सरगरा एंव मंगलाराम पुत्र दुर्गाराम सरगरा निवासी गुजरावास खुर्द को आवंटित कर दी। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग में गोचर के काम में आने के कारण जगदीश व मंगलाराम पुत्र दुर्गाराम ने तहसील में लिखकर दिया कि वो आवंटित भूमि रखना नहीं चाहते। इस कारण आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त भूमि गोचर के काम आ रही है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस के दौरान यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के आवंटन के लिए न तो पूर्व में कोई विज्ञप्ति जारी की गई तथा न ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये बिना नियमानुसार कार्यवाही कर अप्रार्थीगण को 13.13 बीघा भूमि आवंटन कर दी गई। जो आवंटन नियम विरूद्व एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य बताय और आवंटन निरस्त कर सरकारी भूमि दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यहभी कथन किया कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं थे। उनके पिताओं के नाम से भूमि थी। इस तथ्य को छुपाकर धोखे से आवंटन करवा लिया जो गलत है। अप्रार्थी ग्राम सुरपुरा का निवासी है

उनको गांव गुजरावास खुर्द की भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 12.12.78 को ग्राम गुजरावास खुर्द की भूमि खसरा नं 192/2 में किया गया 13.13 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र छोगाराम के योग्य अभिभाषक श्री सिद्वार्थ परिहार ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा न. 192 गांव गुजरावास की भूमि कभी भी गोचर के रूप में काम में नहीं आई। यह भूमि शुरू से ही काबिल काश्त रहीं है इस कारण इस खसरे में बहुत से व्यक्तियों को इस भूमि में से समय समय पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया उनका यह भी कथन था कि वर्ष 1976 के जिस परिपत्र का उल्लेख किया गया वह परिपत्र अन्त्योदय चयनित व्यक्ति को भूमि आवंटन करने के मामले में लागू नहीं होता। अप्रार्थी सं. 1 अन्त्योदय चयनित परिवार का सदस्य है इसी कारण उसे भूमि आवंटन की गई।

अप्रार्थी सं. 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी को दिंनाक 12.12.78 को विधिवत रूप से भूमि का आंवटन किया गया कारण की अप्रार्थी सं. 1 अनुसूचित जाति का एवं भूमिहीन व्यक्ति था वह अन्त्योदय चयनित परिवार का चयनित सदस्य था जो आज भी है। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही काश्त योग्य भूमि रही तथा अन्य व्यक्तियों को भी आंवटन की गई। विवादग्रस्त भूमि कभी गोचर के रूप मे काम नहीं आ रही थी। इसके अन्य व्यक्तियों ने कभी भी तहसील में यह लिख कर नहीं दिया की उक्त आवंटन भूमि नहीं चाहिए यह तथ्य गलत है अप्रार्थी सं. 2 का स्वर्गवास हो गया है उसने अपनी भूमि स्वर्गवास के पहले ही भूमाफिया को बेचान कर दी है। लेकिन अप्रार्थी सं 1 अपनी आवटित भूमि का बेचान नहीं किया अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि पर हमेशा काश्त की है व अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है अगर हल्का पटवारी ने यदि नक्शें में तरमीम नहीं की तो अप्रार्थी की गलती नहीं है उसे कानून की पूर्ण जानकारी नहीं थी अप्रार्थी सं. 1 अनुसूचित जाति व अन्त्योदय चयनित सदस्य है उसे नियमानुसार भूमि का आंवटन किया गया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होना बताया।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अध्ययन किया प्रकरण में प्राप्त भू आंवटन सलाहकार समिति बैठक रजिस्ट्रर का भी अवलोकन किया आवंटन पंजिका के अनुसार दिंनाक 12.12.78 को केम्प सुरपुरा में सलाहकार समिति द्वारा अन्त्योदय परिवार को भूमि आवंटन की बैठक रखी गई थी। आवंटन सलाहकार समिति में सहायक जिलाधीश एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान जोधपुर , विकास अधिकारी, तहसीलदार जोधपुर, सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुरा उपस्थित रहे इनके हस्ताक्षर भी आवंटन पंजिका पर उपलब्ध है।

मरूस्थलीय जिलों में आवटंन एवं नियमन पर एक हैक्टर से अधिक राजकीय कृषि भूमि आवंटन पर रोक थी लेकिन राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–6(6) राज–6/97/7 दिनांक 28.08.2001 के द्वारा इस प्रतिबंध के संबंध में राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प–6(9) राज–6/76 दिनांक 04.02.78 के द्वारा अन्त्योदय परिवारों के लिए भूमि आवंटन में शिथिलता प्रदान की है।

अप्रार्थी सं. 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह अन्त्योदय योजना में चयनित किया हुआ है इस आशय की पुष्टि भूमि आवंटन फॉर्म V बी जो दिनांक 12.12.78 शिविर सुरपुरा पर होती है अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि की किश्म बी–चतुर्थ है उसे 13.00 बीघा भूमि का आवटंन किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 2 लच्छीराम पुत्र बिडदाराम मेघवाल को भी पक्षकार बनाया था लेकिन अप्रार्थी अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत अप्रार्थी सं. 2 का नाम हटाने का पेश किया था जिसका निस्तारण फर्द अहकाम दिनांक 09.03.2016 को किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रायोजनार्थ सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।